



**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक/ 1417 /भू-अर्जन/2024

कोरबा, दिनांक 05.02.2024

क्रमांक 07/अ-82/2019-20 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि जीव् दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की, नेवसा जोरहाडबरी मार्ग में लीलागार नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

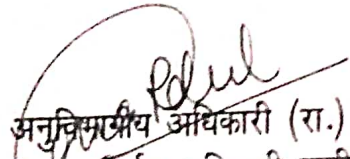
भूमि का वर्णन :-

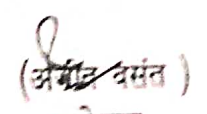
- | | | | |
|-----|-------------------|---|-----------|
| 01. | जिला | : | कोरबा |
| 02. | तहसील | : | हरदीबाजार |
| 03. | ग्राम | : | नेवसा |
| 04. | भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.412 हे. |

खसरा	रकबा (हे.में)
698/4	0.121
698/5	0.016
762/5	0.275
योग :- 03 खसरा	0.412

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली
जिला- कोरबा (छ.ग.)


(अधीनस्थ वसंत)
कलेक्टर
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग